म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2014/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2023

दिनांक 09/8/23

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
श्री अरबिन्दों विश्वविद्यालय
इंदौर (म.प्र.)

विषय– शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2023–24** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तो के अध्यधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की **बैठक दिनांक 21.07.2023 एवं 04.08.2023** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की सभा बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

S. No.	Course Name (As Per Ordinance)	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
			Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous Fee(15%)	Total Fee
1	MBBS	1715000	1381845	243855	**1625700**
2	MS/MD (DERMATOLOGY/RADIODIAGNOSIS)	2500000	1887765	333135	**2220900**
3	MS/MD (OBSTETRICS & GYNAECOLOGY / GENERAL MEDICINE)	2200000	1678325	296175	**1974500**
4	MS/MD (ORTHOPAEDICS / PAEDIATRICS / OPHTHALMOLOGY / PSYCHIATRY / GENERAL SURGERY)	1995000	1580915	278985	**1859900**
5	MS/MD (RESPIRATORY MEDICINE / ANAESTHESIOLOGY / RADIOTHERAPY / OTO-RHINO-LARYNGOLOGY(ENT) / EMERGENCY MEDICINES)	1733100	1473135	259965	**1733100**

निरंतर–02

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

6	MS AND MD (Para -Clinical)	1070000	841500	148500	990000
7	MS AND MD (Non -Clinical)	98400	83130	14670	97800
8	M.PHILL	550000	409785	72315	482100
9	FELLOW SHIP COURSE	400000	309400	54600	364000
10	MSC GENETICS/MSC CLINICAL EMBRYOLOGY	500000	396185	69915	466100
11	DM AND MCH (DM - GASTRO / DM - NEURO / DM - NEPHRO / MCH - NEURO / DM - CORDIO / DM - ENDO CRINOLOGY	800000	680000	120000	800000
12	DM AND MCH (DM - ONCOLOGY / MCH - ONCOLOGY / MCH - UROLOGY)	1940000	1591625	280875	1872500
13	BDS	265000	211140	37260	248400
14	MDS (CONSERVATIVE AND ENDODONTICS / ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY / ORTHODONTICS / PEDODONTICS AND PREVENTIVE DENTISTRY / PERIODONTICS / PROSTHODONTICS)	587000	467840	82560	550400
15	MDS (ORAL PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY / ORAL MEDICINE AND RADIOLOGY / PUBLIC HEALTH DENTISTRY)	100000	85000	15000	100000

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

नोट– उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, विकास शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. **सत्र 2023–24** हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये ।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नही है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)
प्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक............./म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024 **भोपाल, दिनांक**

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

प्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल